

- 20- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।
- 21- त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 22- प्रायोजनान्तर्गत विद्युत पोल एवं ट्रांसफार्मर मद में एकमुश्त रु. 61.45 लाख की धनराशि अनुमत्य की गई है। उक्त धनराशि पावर कारपोरेशन विभाग से प्राप्त आगणन के आधार पर वास्तविकता के दृष्टिगत देय होगी।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-आयोजनागत-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-02-शहरी क्षेत्रों में सड़कों के सुधार के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-1206/दस-2014 दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अब्दुल अहमद)
विशेष सचिव।

संख्या: 1315(1)/35-4-2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
- 2-महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
- 3-प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्राम्य विकास/गन्ना विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/कृषि विपणन।
- 4-प्रमुख सचिव, वित्त।
- 5-निजी सचिव, मा.मुख्य मंत्री जी।
- 6-मण्डलायुक्त, फैजाबाद।
- 7-जिलाधिकारी, बाराबंकी।
- 8-मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 9-कोषाधिकारी, बाराबंकी।
- 10-गार्ड फाईल
- 11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 12-राज्य योजना आयोग-1
- 13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बाराबंकी।

आज्ञा से,

(अब्दुल अहमद)
विशेष सचिव।